PAGE 1 OF 2	अभियोजन साक्षी संख्याः 06

न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश, कोर्ट सं०-06 जनपद – कानपुर देहात।		
सत्र वाद संख्या- 1595/2020		
राज्य	**बनाम**	रामनरेश

नाम साक्षीः धर्मेन्द्र मलिक पुत्र स्व० भगवत सिंह	अपराध संख्या-48/2020
उम्रः लगभग 50 वर्ष, पेशाः पुलिस उपनिरीक्षक	धारा- 302 भा0 द 0 वि0
वर्तमान तैनाती पता साक्षीः थाना- मुहम्मदाबाद, जनपद-फतेहगढ़	थाना-सट्टी, कानपुर देहात।

प्रतिपरीक्षा

दिनांकः-09.04.2026

मैं **साक्षीः धर्मेन्द्र मलिक पुत्र स्व० भगवत सिंह, उम्रः लगभग 50 वर्ष, पेशाः पुलिस उपनिरीक्षक, वर्तमान तैनाती पता साक्षीः थाना- मुहम्मदाबाद, जनपद-फतेहगढ़** शपथपूर्वक यह बयान करता हूँ कि.....

13. मुझे घटना की सूचना उच्चाधिकारियों द्वारा दी गई थी। घटना ग्राम महकापुर में हुई थी लेकिन मृतका सीएचसी पुखरायाँ में मृत अवस्था में मिली थी। सीएचसी पुखरायाँ में मैं वादी से मिला था। मृतका को घायलावस्था में सीएचसी पुखरायां ले जाया गया था जहाँ पर चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया था। मृतका को ससुराल पक्ष द्वारा अस्पताल में भर्ती कराया गया था लेकिन मुझे ससुराल पक्ष के उस व्यक्ति का नाम नहीं पता है जिसके द्वारा भर्ती कराया गया था। मुझे याद नहीं है कि मैंने केसडायरी के किस पर्चे में इस बात का उल्लेख किया है कि मृतका को उसके ससुराल पक्ष द्वारा अस्पताल में भर्ती कराया गया था।

14. वादी मुकदमा द्वारा अभियुक्त को घटना कारित करते हुए देखना नहीं बताया गया है। घटना वाले दिन मैं घटनास्थल पर नहीं गया था।

15. वादी द्वारा दिनांक 21.04.2020 को तहरीर दी गई थी उसी के आधार पर मुकदमा दर्ज किया गया था। तहरीर मृतका के पिता द्वारा दी गई थी।

16. मृतका के शव का पंचनामा दिनांक 21.04.2020 को रात्रि में ही किया गया। पंचनामा के समय वादी मुकदमा मौजूद था। फौती सूचना चिकित्सक द्वारा थाने पर समय लगभग दस-ग्यारह बजे रात्रि में दी गई थी। सीएचसी पुखरायाँ से थाने की दूरी लगभग बीस किलोमीटर है। मुझे थाने से सीएचसी पुखरायाँ पहुँचने में लगभग एक घंटे का समय लगा। वादी मुकदमा द्वारा तहरीर दिनांक 21.04.2020 की दोपहर दो बजे दी गई थी।

17. मुकदमा लिखने के तुरंत बाद मैं वादी मुकदमा को लेकर घटनास्थल पहुँचा था। घटनास्थल पर पहुँचने पर अभियुक्त के माता-पिता मौजूद मिले। वादी मुकदमा की मौजूदगी में ही मैंने घटनास्थल का मानचित्र बनाया था। वादी मुकदमा का निवास थाना भोगनीपुर क्षेत्र में है। भोगनीपुर से घटनास्थल की दूरी पन्द्रह किलोमीटर है। घटना से पहले वादी मुकदमा अपने घर पर था और घटना के बाद वह सीएचसी पुखरायाँ में मिला था। मृतका के अस्पताल में भर्ती होने, पंचनामा होने के बाद अगले दिन एफआईआर दर्ज होने के बाद मैं वादी मुकदमा को घटनास्थल पर लेकर गया था। शाम लगभग चार बजे मैंने वादी मुकदमा की निशानदेही पर घटनास्थल का नक्शानजरी बनाया था। वादी मुकदमा व उसके परिवार ने अभियुक्त के खिलाफ कभी कोई शिकायती प्रार्थना-पत्र दिया था इस संबंध में दौरान विवेचना कोई तथ्य सामने नहीं आया।

18. यह कहना सही है कि वादी मुकदमा ने घटना घटित होते हुए नहीं देखा बल्कि अपने पुत्र राजू द्वारा बताने के अनुसार घटना बताते हुए तहरीर दी और राजू के बताने के अनुसार ही वादी मुकदमा ने नक्शानजरी मुझसे तैयार कराया था।

19. सीएचसी में मुझे सिर्फ मृतका के परिजन मिले थे; आस-पड़ोस का कोई व्यक्ति नहीं मिला था। वादी मुकदमा ने यह नहीं बताया था कि किसी व्यक्ति द्वारा घटना कारित करते हुए अभियुक्त को देखा है। वादी मुकदमा द्वारा दी गयी तहरीर के आधार पर अभियुक्तगण के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गयी थी जिसमें अभियुक्त रामनरेश भी नामजद था।

20. सीएचसी में वादी का पुत्र राजू मौजूद मिला था। सीएचसी में मौजूद राजू से मैंने पूछताछ की थी। उस दिन सीएचसी में मैंने राजू से पूछताछ के बयान केसडायरी में अंकित नहीं किए थे। एफआईआर दर्ज होने के बाद वादी मुकदमा के साथ एक-दो लोग और थे। एक-दो लोग वादी के परिवार के थे। मृतका की बुआ सुषमा भी उसी गाँव में रहती थीं। मैंने मृतका की बुआ सुषमा से पूछताछ की थी लेकिन उनका बयान केसडायरी में अंकित किया है या नहीं यह मुझे याद नहीं है।

मेरे बोलने पर आज यह बयान
रीडर द्वारा टंकित किया गया। सुनकर तस्दीक किया।

HANS PRAKASH DIXIT